निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 62/दावा/21 तारीख दायरा 22.07.2021

ऑनलाइन प्रकरण संख्या 79/2021

उनवान

1. रोडी बाई पुत्री देव्या जाति लोढा निवासी भवानीपुरा तहसील मनोहरथाना

—वादनी

बनाम

1. रमेश पिता चम्पालाल जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
2. किशन पिता चम्पालाल जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
3. काशीराम पिता चम्पा जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
4. गोदा पिता चम्पा जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
5. पप्पू पिता चम्पा जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
6. श्रीलाल पिता मांगीलाल जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
7. राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति लोढा निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थित वकील वादी —श्री अशोक कुमार लववंशी

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कियह कि ग्राम पहाडपुरा पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 170 पुरानी 151 की खसरा नम्बर क्रमशः 218 की 0.0890, 26 की 2.0963, 28 की 1.3193, 334 की 0.405, 55 की 0.4128, 75 की 0.0081, 76 की 0.4613 कुल 7 किता की 4.4273 हैक्टेयर भुमि मुझ वादीनी के खाते में दर्ज है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 76 की 0.4651 हैक्टेयर भुमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 ने जबरनबलपूर्वक नाजायज रूप से दिनांक 27.05.2021 को जबरन कब्जा कर लिया है जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक एवं अधिकार नही है और ना ही उनका नाम जमाबन्दी में दर्ज है फिर भी प्रतिवादीगण ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है जो बेहैसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 76 की 0.4613 हैक्टेयर भुमि पर से कब्जा हटाने बाबत मुझ वादनी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने कोई सुनवाई नही की ओर कब्जा छोडने से साफ इन्कार हो गये एवं लडाई झगडा करने पर आमदा हुए दिनांक 27.05.2021 को वाद हेतु उत्पन्न हुआ है यही वाद का कारण है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 7 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आ ाय बाबत वाद डिकी किया जावे।

वादं दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा

कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम पहाडपुरा पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 170 पुरानी 151 की खसरा नम्बर क्रम I: 218 की 0.0890, 26 की 2.0963, 28 की 1.3193, 334 की 0.405, 55 की 0.4128, 75 की 0.0081, 76 की 0.4613 कुल 7 किता की 4.4273 हैक्टेयर आराजी वादी के खातेदारी मे दर्ज है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 76 की 0.4651 हैक्टेयर भुमि पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 जबरन कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 7 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादनी को संभलाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिंसपर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम पहाडपुरा संवत 2075–78 की खाता संख्या नया 170, पुराना 151 पेश किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादनी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादनी डिक्री किया जाकर आदे I दिया जाता है कि ग्राम पहाडपुरा पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 170 पुरानी 151 की खसरा नम्बर क्रमशः 218 की 0.0890, 26 की 2.0963, 28 की 1.3193, 334 की 0.405, 55 की 0.4128, 75 की 0.0081, 76 की 0.4613 कुल 7 किता की 4.4273 हैक्टेयर आराजी में से खसरा नम्बर 76 की 0.4651 हैक्टेयर भुमि की पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो वर्णित आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादनी को संभलाया जावे। डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे. इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

डिकी मुकद्मात इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24 / 06 / 2022

प्रकरण संख्या 62 / दावा / 21 तारीख दायरा 22.07.2021

ऑनलाइन प्रकरण संख्या 79 / 2021

उनवान

1. रोडी बाई पुत्री देव्या जाति लोढा निवासी भवानीपुरा तहसील मनोहरथाना

–वादनी

वनाम

1 रमेश पिता चम्पालाल जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
2. किशन पिता चम्पालाल जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
3. काशीराम पिता चम्पा जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
4. गोदा पिता चम्पा जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
5. पप्पू पिता चम्पा जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
6. श्रीलाल पिता मांगीलाल जाति लोढा निवासी पहाडपुरा
7. राधे याम पिता मांगीलाल जाति लोढा निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादी

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री अशोक कुमार लववंशी मिन जानिव मुद्दालय -------- ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम पहाडपुरा पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 170 पुरानी 151 की खसरा नम्बर क्रमशः 218 की 0.0890, 26 की 2.0963, 28 की 1. 3193, 334 की 0.405, 55 की 0.4128, 75 की 0.0081, 76 की 0.4613 कुल 7 किता की 4.4273 हैक्टेयर आराजी में से खसरा नम्बर 76 की 0.4651 हैक्टेयर भुमि की पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो वर्णित आराजी पर से प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादनी को संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड